


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक...1.10.19

संख्या-7/स्था01-9-01/2011सा0प्र0.....13580/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-72189 दिनांक 05.09.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री प्रीतु राज, न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, सारण, छपरा को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरुद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि की एक मुश्त वसूली कर लिये जाने, के शर्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से



(राम विशुन राय)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-01/2011 सा0प्र0.....13580/पटना-15, दिनांक...1.10.19  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट  
कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो  
प्रतियों में) प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-01/2011 सा0प्र0.....13580/पटना-15 दिनांक...1.10.19  
प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-72189 दिनांक  
05.09.2019 के प्रसंग में/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,  
बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा/श्री प्रीतु राज, न्यायिक  
दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, सारण, छपरा को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम  
से/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0  
मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।